

**कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर मध्यप्रदेश**  
**—:विविध संशोधन आदेश:—**

क्रमांक 32 / एक-11-1 / कार्य.विभा.पत्र. / सां.अनु. / 19

ग्वालियर, दिनांक.....08.02.2024

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर के आदेश क्रमांक 43 / गोपनीय / 2024 / II-2-1 / 2024 जबलपुर दिनांक 26.01.2024 के द्वारा मुख्यालय ग्वालियर पर 06 एवं तहसील डबरा पर 01 जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीशगण की पदस्थापना होने से एवं रजिस्ट्री, जबलपुर की अधिसूचना क्र.— ए/1146 / (OAW) III-6-6/84-11 (FTSCs) c.s.s. जबलपुर, दिनांक 02.02.2024 के द्वारा श्री सचिन ज्योतिषी, सत्रहवे अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को श्रीमती अनीता सिंह, षष्ठम अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के स्थान पर मुख्यालय ग्वालियर के लिए 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' (OAW) (रजिस्ट्री के ज्ञापन क्र.—सी/633 दिनांक 18.02.21 में उल्लेखित अपराधों की श्रेणी) से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किये जाने व रजिस्ट्री, जबलपुर की अधिसूचना क्र.—A/1148/ III-6-4/81 dated 02-02-24 के द्वारा श्री सी.एस. शैयाम, चतुर्थ अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को **डकैती** एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (Act No. 36 of 1981) हेतु विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किये जाने तथा रजिस्ट्री, जबलपुर की अधिसूचना क्र.— A/1144 (STF) III-6-5/14 dated 02-02-24 के द्वारा श्री सी.एस. शैयाम, चतुर्थ अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को **स्पेशल टास्क फोर्स**, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिए गए प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप, कार्यालयीन विविध आदेश क्र.—124 / एक-11-1 / कार्य.विभा.पत्र. / 19 दिनांक 08.09.2023 एवं विविध आदेश क्र.—123 / एक-11-1 / कार्य.विभा.पत्र. / 19 दिनांक 08.09.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 06 पर अंकित **सरल क्र. 06** एवं **06 अ** के कॉलम क्र. 02 में अंकित **रिक्त न्यायालय** शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **श्री सी.एस. शैयाम** शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 06 पर अंकित **सरल क्र. 06** के कॉलम क्र. 04 में सरल क्र. 1 पैरा के रूप में "रजिस्ट्री, जबलपुर की अधिसूचना क्र.—A/1148/ III-6-4/81 dated 02-02-24 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन **पुलिस थाना मुरार, झासीरोड, कम्पू, जनकगंज, गोला का मंदिर, बहोडापुर, महिला थाना पडाव, जी.आर.पी. (बी. जी. एण्ड एन.जी.), आर.पी.एफ. एवं पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोन, उटीला** से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता को **छोड़कर** शेष ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र" स्थापित किया जाता है।

**सरल क्र. 2** पैरा के रूप में "उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना क्र.— A/1144 (STF) III-6-5/14 dated 02-02-24 के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिये गये जिला ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र" स्थापित किया जाता है।

सरल क्र. 3 के रूप में "समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहिया" पंक्तियां स्थापित की जाती हैं।

सरल क्र. 4 के रूप में "पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहिया" पंक्ति स्थापित की जाती है।



3. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 07 पर अंकित **सरल क्र. 08** के कॉलम क्र. 04 के सरल क्र. 1 पर अंकित (OAW) से संबंधित अधिसूचना विलोपित की जाती है।
4. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 17 पर अंकित **सरल क्र. 18 एवं 18 अ** में कॉलम क्र. 02 में अंकित **रिक्त न्यायालय** शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **श्री आशीष श्रीवास्तव** शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।
5. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 17 पर अंकित **सरल क्र. 18** के कॉलम क्र. 4/5 में निम्न पंक्तियां स्थापित की जाती हैं:—
1. इस न्यायालय के निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण।
  2. समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
  3. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
6. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 17 पर अंकित **सरल क्र. 18 अ** के कॉलम क्र. 4/5 में निम्न पंक्तियां स्थापित की जाती हैं:—
1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
  2. इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
  3. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
  4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
7. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 17 पर अंकित **सरल क्र. 19 एवं 19 अ** में कॉलम क्र. 02 में अंकित **श्री संजय कुमार सिंह** का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **श्री सचिन ज्योतिषी** शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।
8. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 07 पर अंकित **सरल क्र. 19** में कॉलम क्र. 04 के सरल क्र. 1 में अंकित डकैती से संबंधित अधिसूचना एवं सरल क्र. 2 में एसटीएफ से संबंधित अधिसूचना विलोपित की जाती है तथा उसके स्थान पर "म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की **अधिसूचना क्र.— ए/1146/(OAW)III-6-6/84-11 (FTSCs) c.s.s.** जबलपुर, दिनांक 02.02.2024 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध रजिस्ट्री, जबलपुर के ज्ञापन क्र. सी/ 633 दिनांक 18.02.21 में दिये गये निर्देशानुसार सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियां" पैरा प्रतिस्थापित किया जाता है।  
सरल क्र. 3 को 2 के रूप में तथा सरल क्र. 4 को 3 के रूप में पढा जावेगा।
9. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 07 पर अंकित सरल क्र. 19 अ के कॉलम क्र. 04 के **सरल क्र. 01 लगायत 07 में उल्लेखित पंक्तियां/पैरा** विलोपित की जाकर पृष्ठ क्र. 06 के सरल क्र. 06 अ के कॉलम क्र. 4 में स्थापित की जाती हैं।
10. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 18 में सरल क्र. 19 अ के पश्चात निम्नानुसार सारणी जोड़ी जाती है:—

19 (b)	अठारहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (श्री धीरज कुमार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 इस न्यायालय के निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उदभूत विविध आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2 समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।</li> <li>3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।</li> </ol>
19 (c)	अठारहवें जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री धीरज कुमार)	मुख्यालय ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</li> <li>2 इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।</li> <li>3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।</li> <li>4 उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।</li> </ol>
19 (D)	उन्नीसवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 इस न्यायालय के निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उदभूत विविध आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2 समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।</li> <li>3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।</li> </ol>
19 (E)	उन्नीसवें जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार)	मुख्यालय ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</li> <li>2 इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।</li> <li>3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।</li> </ol>



			कार्यवाहियां। 4 उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
19 (F)	बीसवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (श्री राहुल वर्मा)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1 इस न्यायालय के निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण। 2 समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले। 3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
19 (G)	बीसवें जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री राहुल वर्मा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण। 2 इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां। 3 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां। 4 उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।

11. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 30 पर अंकित सरल क्र. 58 एवं 58 अ में कॉलम क्र. 02 में अंकित रिक्त न्यायालय शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर श्री कलम सिंह मेडा शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

12. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 30 पर अंकित सरल क्र. 58 के कॉलम क्र. 4/5 में निम्न पंक्तियां स्थापित की जाती हैं:-

1. इस न्यायालय के निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण।
2. समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
3. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।

13. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 30 पर अंकित सरल क्र. 58 अ के कॉलम क्र. 4/5 में निम्न पंक्तियां स्थापित की जाती हैं:-

1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
2. इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
3. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।

14. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 39 के सरल क्र. 7 पर अंकित पैरा की प्रथम पंक्ति में अंकित चतुर्थ/सोलहवे/अठारहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने से पंक्ति विलोपित की जाती है। उसके स्थान पर **एकादशम जिला न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण** पंक्ति प्रतिस्थापित की जाती है।

15. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 39 के सरल क्र. 8 पर अंकित **सम्पूर्ण पैरा** विलोपित किया जाता है।

16. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 39 के सरल क्र. 9 पर अंकित पैरा की प्रथम पंक्ति में अंकित **षष्ठम** शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **सत्रहवे** शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

17. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 39 के सरल क्र. 9 के पश्चात 9 के रूप में निम्न पैरा जोड़ा जाता है:-

**त्रयोदशम जिला न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण त्रयोदशम जिला न्यायाधीश के सिविल प्रकरण से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियां श्री राहुल वर्मा, बीसवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किए जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार उन्नीसवें जिला न्यायाधीश पर रहेगा, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते क्रम में प्रभार रहेगा। बीसवें जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्वार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

18. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 19 के सरल क्र. 22 का कॉलम क्र. 2 में अंकित **श्री सी.एस. शैयाम** का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **श्री नितिन कुमार मुजाल्दा** का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

19. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 21 के सरल क्र. 26 के कॉलम क्र. 2 में अंकित **श्री आशीष श्रीवास्तव** का नाम विलोपित किया जाता है।

20. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 21 के सरल क्र. 27 के कॉलम क्र. 2 में अंकित **श्री नितिन कुमार मुजाल्दा** का नाम विलोपित किया जाता है।

21. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 21 के सरल क्र. 30 के कॉलम क्र. 2 में अंकित **श्रीमती निधि सक्सेना** का नाम विलोपित किया जाता है।

22. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 21 के सरल क्र. 32 के कॉलम क्र. 2 में अंकित **श्री धीरज कुमार** का नाम विलोपित किया जाता है।



23. विविध आदेश क्र. 124 के पृष्ठ क्र. 23 के सरल क्र. 35 के कॉलम क्र. 2 में अंकित श्री सचिन ज्योतिषी का नाम विलोपित किया जाता है।

24. विविध आदेश क्र.-123 के पृष्ठ क्र. 1 में अंकित सारणी के सरल क्र. 02 विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार सारणी जोड़ी जाती है:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अवकाश काल में इंचार्ज न्यायालय
1	विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, ग्वालियर	दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

25. विविध आदेश क्र.-123 के पृष्ठ क्र. 2 में अंकित सारणी के सरल क्र. 19 एवं 20 विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर निम्नानुसार सारणी जोड़ी जाती है:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अवकाश काल में इंचार्ज न्यायालय
19	सत्रहवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	अठारहवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
20	अठारहवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	उन्नीसवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
20 अ	उन्नीसवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	बीसवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
20 ब	बीसवे जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

26. विविध आदेश क्र.-123 के पृष्ठ क्र. 6 के सरल क्र. 6 की पंक्ति क्र. 5 में अंकित सत्रहवे-सत्रहवे शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर चतुर्थ-चतुर्थ शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

27. विविध आदेश क्र.-123 के पृष्ठ क्र. 7 के सरल क्र. 7 की पंक्ति क्र. 4 में अंकित षष्ठम शब्द विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर सत्रहवे शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

866

7

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-11-1 / कार्य विभा.नस्ती / सां.अनु. / 19 ग्वालियर, दिनांक 08-2-24  
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर  
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल मे माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार  
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
7. जे.एस.ए, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर  
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
9. ऑफिस मोहररि, जिला न्यायालय, ग्वालियर  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर